राष्ट्रीय वयोश्री योजना

स्रोत: पी.आई.बी.

पूरे भारत में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने की एक महत्त्वपूर्ण पहल के तहत भारत सरकार के **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** ने एक साथ 72 स्थानों पर **'सामाजिक अधिकारिता शिविर'** का आयोजन किया।

- इन शिविरों का उद्देश्य **राष्ट्रीय वयोश्री योजना** के तहत 12000 से अधिक विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता एवं सहायक उपकरण वितरित करना है।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना:

- **परिचय:**
  - इसे वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - यह **वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष** से वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है।
  - यह योजना **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO)** , एक सार्वजनिक उपक्रम (Public Sector Undertaking) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- **विशेषताएँ:**
  - योजना के लिये पात्रता मानदंड इस प्रकार है: **वरिष्ठ नागरिक, गरीबी रेखा से नीचे (BPL)** की श्रेणी और उम्र से संबंधित अक्षमता/असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति।
  - यह योजना पात्र वरिष्ठ नागरिकों को उनकी विकलांगता या दुर्बलता के अनुरूप निःशुल्क उपकरण वितरित करने का कार्य करती है।
    - योजना के तहत समर्थित उपकरण: इसके तहत चलने के लिये प्रयोग की जाने वाली छड़ी, कोहनी की बैसाखी, वॉकर/बैसाखी, ट्राइपॉड/क्वाड पॉड, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम दाँत और चश्मा प्रदान किये जाते हैं।
  - इस योजना से **पूरे देश में 5 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होने की उम्मीद है।**

भारत में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अन्य पहल:

- वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (NPOP)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
- संपन्न परियोजना

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rashtriya-vayoshri-yojana-2